



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235914
CG-DL-E-21052022-235914

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]
No. 348]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

सा.का.नि. 365(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के खंड 3 के उप-खंड 1(ग)(i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका में क्र.सं.1 के सामने उल्लिखित व्यक्ति को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	सरोकारी	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	गुजरात सरकार की ओर से सदस्य	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, गुजरात समुद्री बोर्ड

2. इस बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अधीन होगी तथा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया व्यक्ति इस बोर्ड का सदस्य तब तक बना रहेगा, जब तक कि वह उक्त पद पर नियुक्त रहता है।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम-भाग(1)]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th May, 2022

G.S.R. 365(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1(c) (i) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021, the Central Government hereby appoints the person mentioned against S. No. 1 in the table below, to be a Member of the Board of Deendayal Port Authority:-

Sl. No.	Interests	Person to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Member from Government of Gujarat	Chief Executive Officer and Vice-Chairman, Gujarat Maritime Board

2. The Appointment of Member of the Board shall be subject to the provisions of the Major Port Authorities Act, 2021 and shall continue to be a Member of the Board so long as he continues to hold that office.

[F.No. LB-11013/1/2021-Labour-Part(1)]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.